बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
मुख्य अभियंता का कार्यालय,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, पटना–800002
Email- cewrdanisabadpatna@gmail.com

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या –01/2026–27

पत्रांक 1683 /   दिनांक 06/05/2026

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के द्वारा परिक्षेत्राधीन तटबंध निरीक्षण/सम्पोषण कार्य/आकस्मिक कार्य/बाढ़ सुरक्षात्मक/बाढ़ संघर्षात्मक कार्य इत्यादि के देख–रेख, उच्चाधिकारियों की बैठकों में भाग लेने, अनुश्रवण एवं अन्य सरकारी कार्य के निष्पादन हेतु भाड़े पर एक अदद् वाहन (स्कॉरपियो N वाहन चालक सहित एवं इंधन रहित) वित्तीय वर्ष 2026–27 में दिनांक–29.06.2026 से दिनांक–31.03.2027 तक निर्धारित कार्यान्वित अवधि में परिचालन हेतु आवश्यकता है। इच्छुक वाहन मालिकों/आपूर्तिकर्त्ता/फर्म से मुहरबंद लिफाफे में निम्नरूपेण अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार के वर्त्तमान अनुसूचित दर अथवा पटना समाहरणालय, पटना के जिला नजारत शाखा के ज्ञापांक–2207 दिनांक–22.07.2025 से प्राप्त अनुमोदित दर या इससे कम दर मान्य होगा, जिसका विवरण निम्न है :–

क्र0	वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी का नाम	गाड़ी परिचालन का कार्यान्वित अवधि	गाड़ी की संख्या	दर (प्रतिमाह) सभी कर सहित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना।	29.06.2026 से 31.03.2027	01		

1. कोटेशन आमंत्रण कार्यालय का नाम एवं पता :– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना।
2. कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि :– 06.05.2026
3. कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि :– 29.05.2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक
4. कोटेशन प्राप्त करने का स्थान :– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना।
5. कोटेशन खोलने की तिथि समय एवं स्थान :– 29.05.2026 को अपराह्न 03:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में

नियम एवं शर्तें निम्नवत् हैः–

1. वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता/कोटेशनदाता द्वारा राज्य सरकार के वर्त्तमान अनुसूचित दर अथवा पटना समाहरणालय, पटना के जिला नजारत शाखा के ज्ञापांक–2207 दिनांक–22.07.2025 से प्राप्त अनुमोदित दर या इससे न्यून दर उद्धृत किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में राज्य सरकार के वर्त्तमान अनुसूचित दर अथवा पटना समाहरणालय, पटना के जिला नजारत शाखा के ज्ञापांक–2207 दिनांक–22.07.2025 से प्राप्त अनुमोदित दर से अधिक दर स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. भाड़े पर वाहन का उपरोक्त सारणी के अनुसार निर्धारित अवधि तक रखने के लिए एकरारनामा किया जाएगा तथा संतोषजनक सेवा रहने पर अगले एक साल के लिए एकरारित दर पर ही अवधि विस्तार किया जा सकता है। वाहन का व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
3. वाहन का मॉडल 2021 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
4. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय तथा चालक के खान–पान एवं अवसान की व्यवस्था वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
5. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता/फर्म की होगी।
6. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैद्य निबंधन पत्र, बीमा, रोड टैक्स, प्रदुषण प्रमाण–पत्र एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा तथा इसकी जिम्मेवारी वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता/फर्म की होगी।
7. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैद्य ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
8. वाहन की चोरी, दुर्घटना अथवा अन्य क्षति एवं दुर्घटना में Third Party नुकसान होने पर चालक सहित जिम्मेवारी वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता/फर्म की होगी।
9. वाहन उपयोग के विरूद्ध किराया प्रतिमाह चालक सहित एवं ईंधन रहित देय होगा। आपुरित वाहन के भाड़े का भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् किया जाएगा।
10. वाहन को उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता/फर्म की जबावदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
11. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा एवं उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना सूचना के एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है। एकरारनामा रू0 1000 (एक हजार) के स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा।
12. आपूरित वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से अथवा 10 (दस) कि0मी0 प्रतिलिटर में से जो भी अधिक हो, मान्य होगा।
13. वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता/फर्म का वैद्य GST एवं पैन कार्ड निबंधन होना अनिवार्य है।
14. वाहन को उपयोग वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता/फर्म द्वारा निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग में नहीं किया जाएगा।
15. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़े की कटौती दो गुणा दर से किया जायेगी।

16. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात् भुगतान की जायेगी।
17. बिना कारण बताए किसी भी समय कोटेशन की प्रक्रिया रोकने/रद्द करने एवं अस्वीकार करने का निर्णय अघोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस मामले में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
18. आवश्यकतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता है एवं वहाँ रह भी सकता है, जिसके लिए किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।
19. वाहन के चालक यथासंभव उजले/स्काई ब्लू रंग के पोशाक में रहेंगे जिसकी आपूर्ति संबंधित वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता/फर्म को करना होगा।
20. इच्छुक वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता/फर्म उक्त क्रमांक 1 से 19 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नॉटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 05 एवं 06 तथा 13 से संबंधित कागजातों की सत्यापित प्रति अपना कोटेशन दिनांक 29.05.2026 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में बंद लिफाफा में 3:00 बजे अपराहन् तक समर्पित करेगें, जिसे दिनांक 29.05.2026 के 3:30 बजे अपराहन मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के कार्यालय में खोला जाएगा। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता/कोटेशनदाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रहेंगे।
21. सभी वांछित कागजात सही पाये जाने एवं एक से ज्यादा न्यूनतम समान दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैद्य कोटेशनदाताओं के बीच बिहार PWD कोड के नियम 163 के तहत लॉटरी के माध्यम् से वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ताओं/फर्म का चयन किया जाएगा। लॉटरी की तिथि एवं समय की सूचना वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ताओं/फर्म को मोबाईल और ई–मेल के माध्यम् से दी जाएगी। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ताओं/फर्म या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि लॉटरी के समय उपस्थित रहेंगे अन्यथा उनकी या उनके प्रतिनिधि के अनुपस्थिति में भी लॉटरी किया जाएगा तथा इस संबंध में उनका कोई भी दावा भविष्य में मान्य नहीं होगा।
22. कोटेशन के साथ क्रमांक 05 एवं 06 तथा 13 के कागजात एवं शपथ पत्र नहीं रहने पर इसे अमान्य कर दिया जाएगा।
23. क्रमांक 04 में भुगतान के अलावा मात्र ईंधन की आपूर्ति विभाग द्वारा किया जाएगा।
24. कोटेशनदाता सीलबंद लिफाफे खोलने के समय अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। अन्यथा उनकी उपस्थिति के बिना भी सीलबंद लिफाफे खोले जायेंगे जिसके लिए किसी तरह का कोई भी दावा भविष्य में मान्य नहीं होगा।

विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में कार्यालय कक्ष, सूचनापट्ट अथवा अधोहस्ताक्षरी के दूरभाष संख्या 7463889513 पर संपर्क किया जा सकता है।

मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांकः– 1683 /   पटना, दिनांक 06.05. /2026

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन सर्म्पक पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :– Soft Copy (PDF and M.S Word)

मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, पटना।